महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ़ तहसील का एक विशेष अध्ययन)

मदन लाल शर्मा
प्रवक्ता
राजनीतिक विज्ञान
श्रीमती के0 डी0 जी0 डी0
मित्तल कन्या महाविद्यालय,
सरदारशहर, चुरु, राजस्थान

सारांश

शहर अपनी हिफाजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना घ्यान गांवों की ओर लगाना चाहिये। हमें उन्हे उनकी संकुचित दृष्टि, उनके पूर्वाग्रहों और वहमों आदि से मुक्त करना है; और इसे करने के सिवा इसका और कोई तरीका नहीं है कि हम उनके साथ बीच में रहें, उनके सुख–दुःख में हिस्सा लें और उनमें शिक्षा का तथा उपयोगी ज्ञान का प्रचार करें।[1]

महात्मा गांधी

मुख्य शब्द : संकुचित, वहमों, राष्ट्रीय ग्रामीण, अधिनियम

प्रस्तावना

भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है, जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक कानून के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। ***'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम अधिनियम', 2005*** भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से शुरू हुई भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना के रूप में जानी जाती है। यह न केवल भारत का, बल्कि विश्व का ऐसा पहला कानून है, जिसमें अकुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में *100* दिन का मांग आधारित काम आवंटित किया जाता है। इस कानून के अंतर्गत काम मांगकर रोजगार प्राप्त करना ग्रामीणों का कानूनी अधिकार है। भारत सरकार ने इस योजना का नाम *02 अक्टूबर, 2009* से अधिनियम में संशोधन कर ***'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम'*** कर दिया है।[2]

यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपर्णू कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर मिलेंगे इस कानून के तहत मुख्य रूप से सूखा, जंगलों का विनाश और भूमि कटाव जैसी उन समस्याओं को संबोधित किया जाएगा जिनके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी फैल रही है। अगर इस कानून को सही ढंग से लागू किया गया तो इसके अंतर्गत पैदा होने वाले रोजगार गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदलने में एक दूरगामी भूमिका अदा कर सकते है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कई ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर इसे "जनता का कानून" कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार करते हुए तमाम मुद्दों पर बहुत सारे जनसंगठनों के साथ परामर्श की एक लंबी प्रक्रिया चलाई गई। दूसरी बात, यह एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कामकाजी लोगों की जरूरतों को संबोधित करने और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन के उनके मूलभूत अधिकार को साकार करने की कोशिश की जा रही है। तीसरे, यह कानून ग्राम सभाओं, सामाजिक ऑडिट, सहभागी नियोजन और अन्य माध्यमों से आम लोगों को भी रोजगार गारण्टी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका अदा करने का मौका देता है। बाकी कानूनों से तुलना की जाए तो एनआरईजीए सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।

तत्कालीन **प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह** ने **दिल्ली** में गत **2 फरवरी, 2013** को विज्ञान भवन में आयोजित **महात्मा गांधी नरेगा सम्मेलन** में भाषण देते हुए कहा कि "यह एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। यह स्कीम दुनिया भर में गरीबी हटाने के लिए अब तक चलाई गई सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की कोई योजना लागू नहीं हो पा रही है। इस योजना से अब तक 8 करोड़ लोग फायदा पा चुके हैं। इसमें करीब 1.3 लाख करोड़ रूपये की राशि उन तक पहुंच चुकी है।

विश्व की सबसे बड़ी तथा महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में आरंभ की गई। लागू होने के 6 वर्ष के भीतर इस योजना ने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल डाली है। वर्ष 2010–2011 के दौरान इस योजना के तहत 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। इस योजना के द्वारा अब तक करीब 1200 करोड़ रोजगार दिवस का कार्य हुआ है। ग्रामीणों के बीच 1,10,000 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति वर्ष औसतन एक–चौथाई परिवारों ने इस योजना से लाभ लिया है।"[3].

श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र का परिचय

श्रीडूंगरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (बीकानेर–जयपुर–आगरा) एवं दिल्ली–बीकानेर ब्रॉडगेज

रेलवे लाईन पर स्थित बीकानेर (राजस्थान) जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यह जिला एवं संभागीय मुख्यालय बीकानेर से 70 किलोमीटर एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 257 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र थार रेगिस्तान में $28^0$4 उत्तरी अंक्षाश एवं $74^0$1 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। थार के रेगिस्तान में होने के कारण यहाँ की जलवायु शुष्क है तथा यहाँ के तापमान में अत्यधिक बदलाव आता है। यहाँ लगभग 75 प्रतिशत वार्षिक वर्षा दक्षिण–पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 49^0 C तक तथा सर्दियों में न्यूनतम 4^0 C तक पहुँच जाता है। वायु का प्रवाह अप्रेल माह से सितम्बर तक दक्षिण–पश्चिम से तथा अक्टूबर से मार्च तक उत्तर–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर होता है।[4]

श्रीडूंगरगढ़ में मनरेगा की स्थिति

श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र हेतु यह योजना एक वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में जल संरक्षण, वानिकी, भूमि सुधार व सम्पर्क सड़क मार्ग, सिंचाई इकाई और चारागाह विकास कार्य प्रमुखता से किए जा रहे है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य परिवारों का बड़े पैमाने पर पंजीकरण हुआ है जिसका विवेचन निम्नाकिंत सारणी में विवेचित है

	पंचायत	पंजीकृत		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		पुरुष	महिला
		परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति		
1	आडसर	913	2180	312	787	15	39	586	1354	1241	939
2	इन्दपालसर	1692	4396	476	1239	1	2	1215	3155	2494	1902
3	उदरासर	2291	6188	250	691	4	10	2037	5487	3344	2844
4	उपनी	1765	4884	382	1052	5	10	1378	3822	2644	2240
5	कितासर	1275	3508	272	752	4	10	999	2746	1940	1568
6	गुसांईसर	1698	4777	420	1212	2	4	1276	3561	2526	2251
7	जाखासर	1188	2970	431	1078	6	16	751	1876	1728	1242
8	जोघासर	1376	3485	244	645	1	2	1131	2838	2078	1407
9	ठुकरियासर	1176	2822	192	438	5	8	979	2376	1538	1284
10	तोलियासर	1166	3303	226	621	1	2	939	2680	1814	1489
11	दुलचासर	857	2056	271	706	0	0	586	1350	1213	843
12	दुसारणा	1462	4182	287	817	15	38	1160	3327	2345	1837
13	धर्मासि	1287	3509	262	744	6	16	1019	2749	1994	1515
14	धीरदेसर	1534	3950	385	1054	11	27	1138	2869	2161	1789
15	पुनरासर	1102	2905	217	608	2	3	883	2294	1683	1222
16	बरजांगसर	954	2878	262	772	4	10	688	2096	1579	1299
17	बाडेला	1273	3881	442	1388	0	0	831	2493	2143	1738
18	बाना	1210	3740	231	685	1	6	978	3049	1999	1741
19	बापेउ	1391	4130	460	1253	0	0	931	2877	2259	1871
20	बिग्गा	1937	4806	562	1376	6	9	1369	3421	2640	2166
21	बिझांसर	1012	2758	131	370	0	0	881	2388	1434	1324
22	मोमासर	1911	3662	294	636	7	13	1610	3013	2138	1524
23	रीड़ी	1640	4729	342	946	0	0	1298	3783	2672	2057
24	लखासर	1358	3587	204	545	2	7	1152	3035	2075	1512
25	लिखमादेसर	1250	2764	277	601	0	0	973	2163	1483	1281
26	सूडसर	1567	3577	200	526	1	1	1366	3050	1993	1584
27	सूरजनसर	1569	4276	338	950	5	11	1226	3315	2311	1965
28	सेरुणा	1316	2788	173	380	15	39	1128	2369	1577	1211
29	सावंतसर	1914	4986	521	1369	150	346	1243	3271	2836	2150

30	सोनियासर	1093	2840	329	875	16	39	748	1926	1620	1220
	कुल	42177	110517	9393	25116	285	668	32499	84733	61502	49015

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि मनरेगा में शामिल परिवारों में 22.27 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति के हैं वहीं शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत 22.72 प्रतिशत रहा हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत 0.67 प्रतिशत तथा व्यक्तियों का प्रतिशत 0.60 प्रतिशत हैं। अन्य जातियों के परिवारों का प्रतिशत 77.05 हैं वहीं व्यक्तियों का प्रतिशत 76.67 हैं। मनरेगा में शामिल कुल व्यक्तियों में पुरुषों का प्रतिशत 56.92 तथा महिलाओं का प्रतिशत 43.08 हैं।

श्रीडूंगरगढ़ पंचायत में सभी 30 पंचायतों में 2013–14 में 41834 जॉब कार्ड जारी किए गए तथा रोजगार के लिए मांग की गई जिनमें से अधिकांश परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिनका विवरण सारणी संख्या में निम्न प्रकार है –

	पंचायत	पंजीकृत		जॉब कार्ड जारी	रोजगार के लिए की गई मांग		उपलब्ध कराया गया रोजगार			भरे हूए मस्टररोल की संख्या	100 दिन पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या
		परिवार	व्यक्ति		परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	व्यक्ति दिवस		
1	आडसर	913	2170	909	302	465	284	426	12304	115	13
2	इन्दपालसर	1692	4396	1686	988	1472	980	1438	50669	493	68
3	उदरासर	2283	6172	2255	1370	2302	1291	2136	65385	620	194
4	उपनी	1765	4884	1765	581	683	560	653	22069	210	16
5	कितासर	1274	3504	1256	513	703	481	633	26883	314	44
6	गुसांईसर	1698	4777	1698	516	662	497	627	15757	183	0
7	जाखासर	1188	2970	1187	242	338	201	272	4511	57	0
8	जोघासर	1375	3483	1371	64	114	44	78	1732	14	0
9	ठुकरियासर	1176	2822	1176	382	599	340	523	9875	124	0
10	तोलियासर	1165	3301	1159	218	248	213	242	3792	40	0
11	दुलचासर	857	2056	855	117	128	5	6	48	3	0
12	दुसारणा	1462	4182	1460	357	537	320	481	18390	186	41
13	धर्मास	1285	3505	1285	449	595	278	368	6988	90	6
14	धीरदेसर	1533	3948	1533	446	516	439	507	17514	166	14
15	पुनरासर	1102	2905	1088	416	600	385	539	17581	169	39
16	बरजांगसर	953	2876	951	92	102	92	102	1704	16	0
17	बाडेला	1273	3881	1273	363	507	303	431	12580	129	4
18	बाना	1204	3728	1204	444	617	359	512	23154	267	64
19	बापेउ	1391	4130	1391	470	584	468	582	15678	156	3
20	बिग्गा	1935	4802	1841	1027	1528	1020	1498	57541	542	65
21	बिझांसर	1011	2757	1006	334	411	186	240	3089	35	2
22	मोमासर	1911	3662	1889	558	650	487	557	13149	133	3
23	रीड़ी	1640	4729	1637	561	754	519	692	15057	170	8
24	लखासर	1357	3585	1356	435	565	406	526	14183	159	3
25	लिखमादेसर	1249	2761	1249	0	0	0	0	0	0	0
26	सूडसर	1565	3573	1548	609	753	594	725	32369	335	15
27	सूरजनसर	1558	4250	1509	696	1045	532	743	7209	93	0
28	सेरुणा	1316	2788	1316	157	167	142	147	7380	77	1
29	सावंतसर	1914	4986	1888	297	321	251	271	9612	95	2
30	सोनियासर	1093	2840	1093	30	46	29	44	1084	15	0
	कुल	42134	110423	41834	13034	18012	11706	15999	487287	5006	605

मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को सम्पन्न किया जाता है। जैसे – बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण और जल संचय, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, सूखारोधन, सिंचाई नहरे, भूमि विकास, रुरल सेनिटेशन आदि। श्रीडूंगरगढ़ पंचायत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान अनेक कार्यों को पूर्ण किया गया।

ग्रामीण सम्पर्क से सम्बंधित 40 कार्य पूर्ण किए गए और 25 कार्य स्वीकृत है। जल संरक्षण और जल संचय के 87 कार्य पूर्ण व 26 कार्य स्वीकृत है। भूमि विकास के 60 कार्य पूर्ण तथा 13 कार्य स्वीकृत है जिसमें 140 कार्य प्रगतिशील है। रुरल सेनिटेशन के 186 कार्य पूर्ण व 130 कार्य प्रस्तावित है। सूखारोधन के 2 कार्य प्रगतिशील व 2 कार्य स्वीकृत है। यदि कुल कार्यों का अवलोकन किया जाए

तो 434 कार्य पूर्ण, 558 कार्य प्रगतिशील व 29 कार्य स्वीकृत है।

अध्याय निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नवीन आयाम स्थापित कर रही है। बीकानेर जिले व बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में मनरेगा द्वारा अनेक ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस योजना में बढ़ती संख्या से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह योजना काफी हद तक ग्रामीण लोगों को आसान तरीके से रोजगार प्रदान कर गरीबी को दूर करने में सफल रही है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि मनरेगा के कारण श्रीडूंगरगढ़ में कृषि कार्यों हेतु मजदूर मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। शहरों की चकाचौंध व विभिन्न रोजगारों के कारण ग्रामीणों का पलायन अभी भी रुका नहीं है। लेकिन पहले की तरह शहरों की ओर पलायन में कमी जरूर आयी है। मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न तरह के कार्यों को सम्पन्न करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ है।

मनरेगा के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अकाल के समय मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी हुआ है यद्यपि विकास की गति काफी धीमी रही है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत निर्मित सड़कों के कारण ग्रामीण इलाके शहरों से जुड़े हैं। इसके तहत किये जाने वाले कार्यों में ग्रामीण समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। बीकानेर जिले का श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आते है जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत काफी कम रहता है। ऐसे में महात्मा गांधी नरेगा ने न केवल यहाँ ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वरन् रोजगार के अवसर भी बढ़ाये हैं।

संदर्भ सूची

1. महात्मा गांधी – यंग इंडिया, 30–03–1931, मेरे सपनों का भारत (नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14) *P. 97*
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर *P. 2-3*
3. ग्रामीण भारत – ग्रामीण विकास मंत्रालय की मासिक समाचार पत्रिका
4. श्रीडूंगरगढ़ ग्राम विकास यात्रा